रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2007, शनिवार/अग्रहायण 25—पौष 1, 1929
No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2007, SATURDAY/AGRAHAYANA 25—PAUSA 1, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 279.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस. के. महापात्रा, अपर सरकारी काउंसेल को, इस आदेश के प्रयोजन के लिए मुंबई स्थित मुंबई उच्च न्यायालय के लिए सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. फा. 34(10)/2007-न्यायिक]

एम. ए. खान यूसुफी, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसेल

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 31st October, 2007

G.S.R. 279.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby appoints

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 282.—कॉफी अधिनियम, 1942(1942 का 7) की धारा 48 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कारित किए गए या कारित किए जाने हेतु विलोपित कार्यों को छोड़कर निम्नलिखित नियमों का अधिक्रमण करती है, अर्थात् :-

(1) कॉफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1968;

(2) कॉफी बोर्ड कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1967;

(3) कॉफी बोर्ड कर्मचारी (अस्थायी सेवा) नियमावली;

(4) कॉफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2005;

(5) कॉफी बोर्ड कर्मचारी (परिवीक्षा) नियम, 2007; और

(6) कॉफी बोर्ड स्टाफ कार नियमवाली;

और यह अधिसूचित करती है कि समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम तथा आदेश कॉफी बोर्ड के समस्त कर्मचारियों पर लागू होंगे, आर्थात् :-

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964;

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965;

(3) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965;

(4) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960;

(5) वर्ष 1959 से नियुक्ति पर परिवीक्षा के बारे में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन/आदेश, व

(6) स्टाफ कार के बारे में केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन/आदेश ।

[सं. 9/1/2007-बागान(ख)]

विजय कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 19th December, 2007

G.S.R 282.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 48 of the Coffee Act of 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby supersedes the following Rules except as respects thing done or omitted to be done before such supersession with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

(1) the Coffee Board Employees (Conduct) Rules, 1968;

(2) the Coffee Board Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 1967;

(3) the Coffee Board Servants (Temporary Service) Rules;

(4) the Coffee Board General Provident Fund Rules, 2005;

(5) the Coffee Board Employees (Probation) Rules, 2007; and

(6) the Coffee Board Staff Car Rules;

and notifies that the following Rules and Orders, framed by the Central Government, as amended from time to time, shall be applicable to all employees of the Coffee Board, namely:—

(1) the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964

(2) the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965

(3) the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965

(4) the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960

(5) the Office Memoranda/Orders issued for Central Government employees on probation on appointment since 1959; and

(6) the Office Memoranda/Orders issued for Central Government Offices on Staff Car.

[No. 9/1/2007-Plant-B]

VIJAY KAPOOR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 283.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में,--

(क) स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टि में, टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के